

FORM-1
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District collector, Kondagaon

No: 700

Date- /11/2019

4/12/2019

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the ministry of Environment and forest(MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5TH February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that 8.011 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G.(name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in Kondagaon District fall in within jurisdiction of Kondagaon District i.e. Makdi Block.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire 8.011 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(Not Applicable)**
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it; **(Not Applicable)**
- (c) The proposal does not involve recognize rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (A Part of Digital India).


Collector

District-Kondagaon (C.G.)

Ak



कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) जिला कोण्डागाँव(छ0ग0)

क्रमांक 640 / कले0 / भू0अभि0शा0 / 2019

कोण्डागाँव, दिनांक 11/11/2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला क्षेत्र के दक्षिण कोण्डागाँव वनमंडल अन्तर्गत माकड़ी ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फयबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने मार्ग मे प्रभावित राजस्व वन भूमि 1.053 हे0 का अनापत्ति प्रमाण पत्र "CEO छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध ।

---00---

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर (छ.ग.) द्वारा "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत दक्षिण कोण्डागाँव वनमंडल अन्तर्गत माकड़ी ब्लॉक अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर आष्टिकल फइबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है :-

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)

स.क्र.	तहसील	ग्राम	कक्ष क्र. /खसरा नंबर	प्रभावित क्षेत्र की रकबा (हे0)	मद (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7
1	माकड़ी	बिनजोली	12/5	0.006	बड़े झाड़ के जंगल	
2	माकड़ी	बड़ेसोंहगा	88/1	0.001		
3	माकड़ी	छिनारी	1/1	0.007		
4	माकड़ी	छिनारी	52/10	0.006		
5	माकड़ी	छिनारी	49	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
6	माकड़ी	बेड़ागाँव	72/1	0.044	बड़े झाड़ के जंगल	
7	माकड़ी	अनतपुर	1/1	0.047		
8	माकड़ी	अनतपुर	1/1	0.060		
9	माकड़ी	अनतपुर	32/1	0.009	छोटे झाड़ के जंगल	
10	माकड़ी	अनतपुर	43/1	0.055	बड़े झाड़ के जंगल	
11	माकड़ी	एरला	10/1	0.051	छोटे झाड़ के जंगल	
12	माकड़ी	बेलोण्डी	44/1	0.017	बड़े झाड़ के जंगल	
13	माकड़ी	हीरापुर	54	0.038	छोटे झाड़ के जंगल	
14	माकड़ी	सोड़मा	59/1,59/4	0.038		
15	माकड़ी	सोड़मा	66/1	0.009		

क्रमशः 02

16	माकड़ी	पीढ़ापाल	58/1	0.001	बड़े झाड़ के जंगल	
17	माकड़ी	पीढ़ापाल	58/1	0.007		
18	माकड़ी	जरण्डी	156/1	0.032		
19	माकड़ी	माकड़ी	120	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
20	माकड़ी	माकड़ी	145/14	0.002	बड़े झाड़ के जंगल	
21	माकड़ी	माकड़ी	35/25	0.031		
22	माकड़ी	माकड़ी	35/25	0.042		
23	माकड़ी	ओटेण्डा	160/1	0.012	छोटे झाड़ के जंगल	
24	माकड़ी	बागबेड़ा	18/1	0.044	बड़े झाड़ के जंगल	
25	माकड़ी	बागबेड़ा	1/1	0.017		
26	माकड़ी	कोसाहरदुली	1/1, 1/3, 1/18, 1/9	0.026		
27	माकड़ी	कोसाहरदुली	1/1, 1/3, 1/18, 1/9	0.079		
28	माकड़ी	कोटवेल	35/10	0.022	बड़े झाड़ के जंगल	
29	माकड़ी	पुसापाल	12/5	0.008		
30	माकड़ी	रांधना	32/1	0.005		
31	माकड़ी	बालोण्ड	1/1	0.103	बड़े झाड़ के जंगल	
32	माकड़ी	लभा	1/30	0.026	छोटे झाड़ के जंगल	
33	माकड़ी	हाड़ीगांव	67	0.004		
34	माकड़ी	गारे	1/49	0.065		
35	माकड़ी	माकड़ी	35/3	0.011	बड़े झाड़ के जंगल	
36	माकड़ी	बेलगांव	1/8/क	0.018		
37	माकड़ी	बेलगांव	28/1	0.009		
38	माकड़ी	बेलगांव	43/1	0.016	छोटे झाड़ के जंगल	
39	माकड़ी	उमरगांव	96/1	0.024		
40	माकड़ी	करमरी	102/1/क	0.021		
41	माकड़ी	कावरा	86/1क	0.041	बड़े झाड़ के जंगल	
42	माकड़ी	छोटे सलना	50/1/क	0.013		
43	माकड़ी	छोटे सलना	50/1/क	0.008		
कुल			43	1.053		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संबंधित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती तो राजस्व विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।


 कलेक्टर
 जिला कोण्डागांव (छ0ग0)